**उत्तर प्रदेश शासन**

**वित्त (सामान्य) अनुभाग-1**

**संख्या-1/2022/जी-1-01/दस-2022-37/19**

**लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2022**

**कार्यालय ज्ञाप**

राज्य सरकार द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2020/जी-1-21(2)/दस-2020-37/2019, दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा दिनांक 01.04.2020 से उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय सचिवालय भत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

**2-** उपर्युक्त के संदर्भ में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों पर दिनांक 01 जनवरी, 2022 से सचिवालय भत्ता अनुमन्य किये जाने तथा इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों/कार्यालयों, जहां पूर्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता अनुमन्य हो रहा था, में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों पर दिनांक 01 जनवरी, 2022 से सचिवालय भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

**3-** यह आदेश दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.12.2021 की अवधि के सचिवालय भत्ते का कोई अवशेष भुगतान नहीं किया जायेगा।

**एस0 राधा चौहान,**
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट- 1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
10. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**
**सरयू प्रसाद मिश्र,**
**विशेष सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in